

(घ) जिला पुलिस को तुरन्त सूचना दी गयी। पुलिस घटना-स्थल पर पहुंची और उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। कुल 375 रुपये का माल चुराया गया था जिसमें से 337 रुपये का माल इस इलाके में और संदिग्ध व्यक्तियों के घरों में तलाशी लेने पर अब तक बरामद हुआ है। 9 संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं।

ऐहतियाती उपाय के रूप में, रात में निगरानी रखने के लिए पुलगांव स्टेशन के आउटर सिगनल पर रेल सुरक्षा दल के हथियारबन्द रक्षक तैयनात किये गये हैं।

Indian Mining Association

1898. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state:

(a) the difficulties of the mining industry which were highlighted at the Annual General Meeting of the Indian Mining Association held on the 16th March, 1965; and

(b) Government's reaction thereto?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b). A statement giving the desired information is laid on the Table of the House. [Placed in Library, see No. LT-4131/65].

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE.

(i) ROBBERY ON A TRAIN ON JHANSI-KANPUR SECTION

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय मैं पहले आप से निवेदन कर दूँ कि आप ने कल निर्णय दिया कि 48

घंटे के अन्दर कालिग एटेंशन नोटिस का उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन मैंने यह नोटिस 25 तारीख को दिया था, लेकिन उसका उत्तर आज मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की तहकीकात करूंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं अवि-लम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"24 मार्च, 1965 को मध्य रेलवे के झांसी-कानपुर सेक्शन पर पामां तथा लालपुर स्टेशनों के बीच एक गाड़ी में सशस्त्र डाकुओं द्वारा लूट का समाचार"

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह एक पत्रे का वक्तव्य है। अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूँ।

श्री म० ला० टिबेरी : (हमीरपुर) : जरूर पढ़िए।

डा० राम सुभग सिंह : 25-3-65 को लगभग 00-05 मिनट पर कुछ बदमाशों ने मध्य रेलवे के झांसी-कानपुर सेक्शन पर पामां और लालपुर स्टेशनों के बीच किलो-मीटर 1306-15 पर खतरे की जंजीर खींचकर 108 अप लखनऊ-झांसी सवारी गाड़ी को रोक दिया। इस गाड़ी में सरकारी रेलवे पुलिस का एक सिपाही चल रहा था। बदमाश डिब्बा नं० 3982 जी० टी० III के 'सी' कम्पार्टमेंट में सफर कर रहे थे और उनके पास पिस्तौल और भाले थे। यत्रियों को लूटने की कोशिश में उन्होंने गोलियों और भालों से 10 यात्रियों को जख्मी कर दिया। उस बोगी में चार औरतें और 19 पुरुष सफर कर रहे थे। जंजीर खींचे जाने के कारण 11 से गाड़ी रुक गयी तो लूटेरे गाड़ी से उतर कर भाग गये।

[डा० राम सुभग सिंह]

गाईं और एक डाक्टर यात्री ने लोगों की मरहम-पट्टी की। बाद में सभी जख्मी आदमियों को इलाज के लिए झांसी रेलवे अस्पताल में भेज दिया गया। इस घटना की सूचना तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट, सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस को दे दी गयी। चुराये गये सामान की अनुमानित कीमत 2,500 से 3,000 रुपये के बीच है।

डिवीजनल सुपरिन्टेण्डेंट, झांसी की प्रार्थना पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सहायक इन्स्पेक्टर जनरल ने झांसी-कानपुर सेक्शन पर रात में चलने वाला सवारी गाड़ियों पर हथियारबन्द पहरेदारों का प्रबन्ध कर दिया है। यात्रियों में अपनी सुरक्षा के प्रति फिर से विश्वास की भावना पैदा करने के लिए दिन में चलने वाली गाड़ियों में अस्थायी तौर पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किए गये हैं। सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395-397 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और 28-3-1965 को इस सिलसिले में 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। आठ आदमियों को, जिन्हें मामूली चोटें आयी थीं, अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। बाक़ी दो आदमियों को जिनके सिर में गोल लगे थे, उनकी प्रार्थना पर उनके अपने शहर ग्वालियर और लखनऊ के अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया गया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूँ कि कानपुर, आगरा, कोटा, ग्वालियर, यह जो इलाका है, यह सारा डाकुओं का इलाका है, ... (Interruptions). इस क्षेत्र में अक्सर डाके डाले जाते हैं, ... (Interruptions).

Shri Raghunath Singh (Varanasi): We protest against this. That may be so with his own constituency.

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Members should give him some concessions. He is not a Minister.

श्री हुकम चन्द कछवाय : आए दिन इस तरह के समाचार हम सुनते हैं। इस इलाके में चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के अन्दर सशस्त्र पुलिस रखने का क्या सरकार का विचार है ताकि इस तरह की घटनाओं को स्थायी रूप से रोका जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैंने बयान में कहा है कि दिन में रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के आदमी और रात में सशस्त्र पुलिस का इन्तज़ाम उस सेक्शन में किया गया है, झांसी-कानपुर सेक्शन पर।

Shri Hem Barua (Gauhati): What about the dakoos from those places here in the House?

Shri P. B. Chakraverti (Dhanbad): May I know whether any *ex-gratia* payments have been made to the victims of the dacoity?

Dr. Ram Subhag Singh: There were minor injuries. So, there was no question of making any such payment.

श्री श्रींकार लाल बरबा (कोटा) : क्या यह सही नहीं है कि इसी लाइन पर पंछे एक एम० पी० साहब को लूटा गया था और यह दूसरी दुर्घटना है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि पहली दुर्घटना के तुरन्त बाद से पुलिस का पहरा नहीं लगाया गया और अब जा कर लगाया गया है ? इस बीच में पहले पहरा क्यों नहीं लगाया गया ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैंने कहा है कि एक सिपाही था लेकिन वह दूसरे डिब्बे में चल रहा था, हर डिब्बे में नहीं था। लेकिन अब तो सारे डिब्बों में चलेंगे।